निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20 / 2020	12.2.2020	15.01.2021

गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री रामसहाय उम्र 59 साल जाति हरिजन निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर (स0मा0) । —प्रार्थी

बनाम

1.बाबू पुत्र रामसहाय उम्र 65 वर्ष जाति हरिजन निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर(स0मा0)।

2.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर। —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की और से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि प्रार्थी ग्राम पीलौदा का निवासी है सीधा साधा व्यकित है। प्रार्थी के नाम हाल खसरा नम्बर भूमि 2118 रकबा 1.0700 हैक्टर है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। बाकी में प्रार्थी की मां कजोडीदेवी एवं बाबू पुत्र रामसहाय का हिस्सा है जिसमें कजोडीदेवी जो कि प्रार्थी की मां है का देहान्त दिनांक 14.4.2013 को हो चुका है बाबू पुत्र रामसहाय प्रार्थी का भाई है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 है। यह कि प्रार्थी का नाम हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 2118 रकबा 1.0700 हैक्टर में प्रार्थी का नाम टूटू पुत्र रामसहाय अंकित है जो कि प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी नाम गिर्राज प्रसाद हरिजन है। यह कि टूटू पुत्र रामसहाय तथा गिर्राज प्रसाद पुत्र रामसहाय हरिजन एक ही व्यक्ति है अलग—अलग नही है। यह कि प्रार्थी ने अपनी हाल जमाबन्दी में अंकित नाम टूटू पुत्र रामसहाय के सही करने एवं टूटू के स्थान पर गिर्राज प्रसाद करने की प्रार्थना गांव के पटवारी एवं तहसीलदार वजीरपुर से की तो प्रार्थी को बताया कि ये काम न्यायालय का है इसलिए न्यायालय प्रार्थी ने इस न्यायालय में के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल जमाबन्दी खसरा नम्बर 2118 रकबा 1.0700 है0 में प्रार्थी का अंकित नाम टूटू पुत्र रामसहाय को हटाकर गिर्राज प्रसाद पुत्र रामसहाय हरिजन दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)

साथ प्रार्थी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2074–2077 फोटोप्रति आधार कार्ड ,राशनकार्ड व फोटोप्रति वोटर मतदाता पहचान पत्र पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजूद सूचना उपस्थित नही । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 16.3.2020 को अपने पत्र कमांक 143 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की । बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 का एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधारकार्ड,व मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम टूटू पुत्र रामसहाय दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड, में उसका नाम गिर्राज पुत्र रामसहाय दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार टूटू पुत्र रामसहाय के स्थान पर गिर्राज पुत्र रामसहाय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2074 से 2077 के खाता संख्या 229 में कम संख्या 2 पर दर्ज नाम टूटू को हजफ कर उसके स्थान पर गिर्राज पुत्र रामसहाय दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 229 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)